O/o CE (EITC)
Receipt No. ...
18 MAR 2019
Date 18 MAR 2019
DGM ( ) / SE (O)
EE......
Section ....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 02/2019 दिनांक 17.01.2019

श्री अनिल कुमार
आत्मज श्री रामाधार बंजारे
पुराना पेट्रोल पंप के पास, मेन रोड़
कसडोल, पोस्ट/तहसील व थाना– कसडोल
जिला– बलौदाबाजार (छ0ग0)
पिन नबंर– 493335

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री सुनील कुमार खरे
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 13.03.2019 को पारित)

अपीलार्थी श्री अनिल कुमार की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील अभ्यावेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 02/2019 दिनांक 17.01.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री अनिल कुमार ने आवेदन दिनांकित 01.11.2018 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से सहायक मानचित्रकार व मानचित्रकार की भर्ती नियम की जानकारी/दस्तावेज चाही गई थी।

उपरोक्त के वशीभूत जनसूचना अधिकारी के द्वारा 1 पृष्ठ में जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, जिससे वे असंतुष्ट है। अतः उपलब्ध करायी गई जानकारी अधूरी व भ्रामक होने का उल्लेख करते हुए उन्होने प्रथम अपील आवेदन इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि जानकारी/दस्तावेज उन्हें प्रदान की जावे।

(3) उक्त दर्ज प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–02/2019/4511 दिनांक 22.01.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 29.01.2019** को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री अनिल कुमार को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया था।

निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतएव प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकी।

अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई पुनः दिनांक 13.03.2019 को निर्धारित की गई। जिसकी सूचना अपीलार्थी एवं प्रतिअपलार्थी को नोटिस पत्र क्रमांक 4865 दिनांक 02.03.2019 के माध्यम से दी गई।

निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी तथा संबंधित प्रभाग से प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, होल्डिंग उपस्थित अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात् प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित तिथि को मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई जानकारी प्रबंधक (मा.सं.) –तीन होल्डिंग कंपनी के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में उक्त प्रभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि **सहायक मानचित्रकार एवं मानचित्रकार का पद पदोन्नति का पद है, अतएव उक्त पद का भर्ती नियम इस कार्यालय में उपलब्ध नही है, अतः जानकारी प्रदान किया जाना संभव नही है।** तत्पश्चात् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4190 दिनांक 19.12.2018 के द्वारा आवेदक को उक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया था।

उल्लेखनीय है कि सहायक मानचित्रकार एवं मानचित्रकार का पद पदोन्नति का पद है, जैसा कि पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल एवं तत्कालीन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कम्पनीज में सहायक मानचित्रकार एवं मानचित्रकार के पदों पर दीर्घ काल से कोई भर्ती नही हुई है। अतएव उक्त भर्ती नियम की प्रति उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

(5) निर्धारित सुनवाई तिथि को संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कर उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये गये।

(अ) जैसा कि अपील पर निर्णय करना एक अर्द्ध–न्यायिक कार्य है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नही, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दें। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(ब) अपीलार्थी का अपील तर्क कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा वांछित जानकारी के संदर्भ में उन्हे अवगत कराया गया है कि सहायक मानचित्रकार एवं मानचित्रकार का पद पदोन्नति का पद है, अतएव उक्त पद का भर्ती नियम इस कार्यालय में उपलब्ध नही है, अतः जानकारी प्रदान किया जाना संभव नही है, जो अधूरी व भ्रामक है। अतः उन्हे वांछित भर्ती नियम की जानकारी उपलब्ध करायी जाए साथ ही अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया कि पूर्व में प्रेषित किये गये समस्त पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः जारी किये जाने वाले अपील आदेश की प्रति उन्हें स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करायी जावे।

(स) उपरोक्त के संदर्भ में संबंधित प्रभाग से उपस्थित प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, होल्डिंग द्वारा यह अवगत कराया गया कि सहायक मानचित्रकार एवं मानचित्रकार का पद चूंकि पदोन्नति का पद है, अतः समय–समय पर पदोन्नति नियमानुसार की जाती है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा कंडिका 04/–टीप में जो कार्यवाही की गई है वह विधि संगत है। सहायक मानचित्रकार एवं मानचित्रकार का पद पदोन्नति का पद है। तदैव **ड्रॉइंग ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड–2 सीधी भर्ती का पद है जिसकी पदोन्नति का पद सहायक मानचित्रकार एवं मानचित्रकार है। तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज) के गठन के पश्चात् आज दिनांक तक ड्रॉइंग ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड–2 के पद पर भर्ती नहीं की गई है।**

उल्लेखित **कंडिका 05 (ब)/टीप** में अपीलार्थी द्वारा किये गये निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 02/2019 दिनांक 17.01.2019) एतद् द्वारा अस्वीकार कर नस्तीबद्ध की जाती है।

(एच.के.पाण्डेय) 14/03/2019.
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –02/2019/ 06 — **रायपुर, दिनांक** 14/03/2019

प्रतिलिपिः–

1 जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2 प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3 श्री अनिल कुमार आत्मज श्री रामाधार बंजारे पुराना पेट्रोल पंप के पास, मेन रोड कसडोल, पोस्ट/तहसील एवं थाना– कसडोल, जिला– बलौदाबाजार (छ0ग0) पिन नबंर– 493335, को सूचनार्थ प्रेषित। **(स्पीड पोस्ट के माध्यम से)**
4 मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

EITC

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

(एच.के.पाण्डेय) 14/03/2019
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700